न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चंद जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 105/2017 ::

अपीलांटगण :- बनाम रेस्पोडेन्टगण :-

सोहनसिंह पुत्र मेगा जाति पुरोहित, निवासी बसंत, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

1. भंवरसिंह पुत्र मेगा
2. नारायणसिंह पुत्र मेगा
3. पुखराज पुत्र मेगा जातिगण पुरोहित निवासीगण बसंत तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)
4. भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री नारायणलाल कुमावत

-: नि र्ण य :-

दिनांक :- 28/5/19

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 76 स्वीकृति आदेश दिनांक 25.05.1992 जो तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मौजा बसंत पटवार हल्का बसंत के खसरा नम्बर 498 रकबा 1.52 हैक्टेयर किस्म जवाई नहर द्वितीय के संबंध में पारित किया गया,उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील अपीलाण्ट सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टगण को जरिए सम्मन तलब किया गया तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पोडेण्टगण बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा वक्त बहस कथन किया कि ग्राम बसंत पटवार हल्का बसंत तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 498 रकबा 1.52 हैक्टेयर किस्म जवाई नहर द्वितीय की अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 के पिता मेगा पुत्र अनाडसिंह व अन्य सहखातेदारों की संयुक्त सामलात कृषि भूमि स्थित है। मेगा पुत्र अनाडसिंह व लालु पुत्र अनाडसिंह के देहान्त हो जाने के पश्चात रेस्पोडेण्ट संख्या 1 भंवरसिंह ने हल्का पटवारी एवं अन्य राजस्व कार्मिकों से मिलावट करते हुए खसरा नम्बर 498 की मेगा पुत्र अनाडसिंह के हिस्से की आराजी जरिये नामान्तरकरण संख्या 76 के अपने नाम दर्ज करवा दी। जो विधी विरूद्ध होने से काबिल निरस्त है। संबंधित पटवारी हल्का

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned by CamScanner

द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण भरने एवं स्वीकृत करने से पूर्व स्व. मेगा पुत्र अनाडसिंह के विधिक वारिशानों की जांच नही की एवं अपनी मनमर्जी से बिना विधिक वारिशानों के सुनवाई किए रेस्पो. सं. 1 भंवरसिंह से मिलावट कर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया। जो विधी विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत किए जाने से पूर्व ही उनकी पत्नी का निधन हो चुका था, लेकिन उसके चार पुत्र अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 जीवित थे, हल्का पटवारी द्वारा मात्र भंवरसिंह के नाम नामान्तरकरण पारित कर दिया, जो विधी विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपने कथन की ताईद में वकील अपीलाण्ट द्वारा ग्राम बसन्त के ही खसरा नम्बर 198, 199, 200, 881, 882, 887, 888, व 915 से 920 की जमाबन्दी की प्रति संवत् 2068–2071 प्रस्तुत की, जिसके अनुसार मेगा के चार पुत्र सोहनसिंह, भंवरसिंह, नारायणसिंह व पुखराज होना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं होने से निरस्त फरमाया जावें। वकील अपीलाण्ट द्वारा म्याद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि दिनांक 05.09.2016 को रेस्पोडेण्ट भंवरसिंह जैर अपील आराजी पर आया तथा उक्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने लगा व राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजी अपने नाम बताते हुए बेचाण करने की धमकी दी, तब अपीलाण्ट ने नकलें प्राप्त कर अपील श्रीमान के समक्ष न्यायालय में जरिये अधिवक्ता पेश की। अपील में अपीलाण्ट के हक अधिकारों का प्रश्न होने से अपील अन्दर म्याद शुमार फरमाई जाकर गुणावगुण पर वाद विवेचन जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एंव मूल नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट के हक अधिकारों से संबंधित होने से जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है एवं अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 76 ग्राम बसंत पटवार हल्का बसंत तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 498 रकबा 1.52 हैक्टेयर किस्म जवाई नहर द्वितीय के संबंध में खातेदार मेगा, लालू पुत्रगण अनाडसिंह की मृत्यु हो जाने पर भरा जाकर स्वीकृत कराया गया। जिसमें मेगा के विधिक वारिशान का इन्द्राज बिना किसी जांच एवं सुनवाई के मात्र भंवरसिंह पुत्र मेगा के नाम का कर दिया गया, जबकि स्व. मेगा के भंवरसिंह के अलावा अपीलाण्ट सोहनसिंह एवं रेस्पो. सं. 2 नारायणसिंह व रेस्पो.स. 3 पुखराज भी जायन्दा पुत्र है। जो मेगा के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी है। जिनका नाम जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया, जिसे जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। वकील अपीलाण्ट द्वारा मेगा के चार पुत्र होने के साक्ष्य के रूप में ग्राम बंसत पटवार क्षेत्र बसन्त में ही स्थित अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट की

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned by CamScanner

सामलाती खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 198, 199, 200, 881, 882, 887, 888 व 915 से 920 की जमाबन्दी संवत् 2068–2071 प्रस्तुत की, जिसमें स्पष्ट रूप से सोहनसिंह, भंवरसिंह, नारायणसिंह व पुखराज पिसरान मेगा दर्ज है अर्थात् मेगा के चार पुत्र होते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 1 भंवरसिंह पुत्र मेगा के नाम का नामान्तरकरण पारित किया जाना स्पष्ट रूप से विधी विरूद्ध होने से उसे यथावत नहीं रखा जा सकता।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 76 पारित दिनांक 25.05.1992 जो ग्राम बसंत पटवार हल्का बसंत तहसील सुमेरपुर तथा खसरा नम्बर 498 रकबा 1.52 हैक्टेयर से संबंधित है, को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार सुमेरपुर को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व. मेगा पुत्र अनाडसिंह के उत्तराधिकारियों की बाद जांच एवं सुनवाई उसके सभी विधिक वारिशानों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत की कार्यवाही करें। तहसीलदार सुमेरपुर को निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण संख्या 76 पालनार्थ लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/5/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चंद जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned by CamScanner